फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रामावतार **बनाम ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा वगै0**

किस्म मुकदमा— प्रा0पत्र नम्बर 62 सन्— 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.6.2024	अधिवक्ता प्रार्थी श्री विनोद कुमार विजय उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है वह न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। श्रीमानजी के द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण पी0एनल0पी0सी0 की बैठक दिनांक 3.5.2024 में किया जा चुका है। अब यह प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 744/6 रकबा 1.00 है. पर अप्रार्थी नं0 2 व अन्य परिवारजन द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाकर उक्त भूमि को खाली करवाने के आदेश प्रदान करावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पी.एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 3.5.2024 का भी अवलोकन किया गया। पी.एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 3.5.2024 में निर्णय लिया गया है कि:— " विकास अधिकारी, पंचायत समिति दौसा द्वारा ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महराजपुरा स्थित खसरा नंबर 744/6 रकबा 1.00है. किस्म गै0मु0आबादी पर निवासरत व्यक्तियों की पात्रता की जांच करके पट्टों के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए नियमानुसार पटटे जारी करना और शेष अपात्र व्यक्तियों को/अतिक्रमियों को बेदखल कर नियमानुसार अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।" इस प्रकार पी0एल0पी0सी0 की बैठक में प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय से दिया जाना हम उचित नहीं समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable)नहीं होने से प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। Devendra जिला कलक्टर दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.08 14:25:54 IST Reason: SelfAttested	